न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 113/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भैरूसिंह पुत्र जेठूसिंह 2. खेतसिंह पुत्र जेठूसिंह 3. चन्द्रवीरसिंह पुत्र जोगसिंह 4. श्रीमती ताराकंवर पत्नी जोगसिंह 5. विक्रमसिंह पुत्र स्व. जोगसिंह नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता ताराकंवर 6. सुमेरसिह पुत्र भीवसिंह 7. भोमसिंह पुत्र भीवसिंह 8. योगेश्वरसिंह पुत्र रेवतसिंह 9. श्रीमती अणचकंवर पत्नी रेवतसिंह समस्त जातियान–राजपूत, निवासी–भालू तहसील बालेसर		1. तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा पारित आदेश कमांक 1792 दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उपस्थितीः––

1. श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07 जून, 2024

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा पारित आदेश कमांक 1792 दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध दिनांक 25.06.2019 को प्रस्तुत की गई।

2. पक्षकरान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार बालेसर के द्वारा रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम भालू शेरनगर, तहसील बालेसर के ख0सं0 577 व 582 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते की रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित कर दिया गया जों अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जबकि उक्त खसरान में अपीलान्टस की खातेदारी वाले खसरा संख्या 582 की रकबा भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उसकी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्तातय किया है उक्त रास्ते के बाबत ग्रामवासियों में न तो कोई विवाद था और न ही ऐसा कोई ग्रामवासी की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता कायम किया है उसमें भूमि के कम से कम भाग का कोई ध्यान नहीं रखा गया और मनमर्जी से रास्ता कायम कर भारी भूल की है।

4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्ययालय ने जो आधार मौका फर्द दर्शाया गया है जबकि मोके पर कोई कर्मचारी नहीं आये और राजस्व कार्मिकों ने कार्यालय में बैठकर ही यह सब कार्यवाही की है जिससे गरीब काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 58, 59, 60, 66 व 86 राज0 भू राजस्व अधिनियम को भलीभांति नहीं समझकर भारी भूल की है। अधीनसथ न्यायालय ने मौका पर जो रास्ता कायम किया है उस रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त रास्ता पूर्व से ही दक्षिण दिशा में मुडिया रोड से आगे के खेतों में जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साईक्लोस्टाईल दस्तावेज के आधार पर मौके पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि विधी मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिल खारिज के है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन है, जो निरस्त योग्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किया जावें।

5. प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बालेसर की ओर से प्रेषित प्रस्ताव जिसमें रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम भालू शेरनगर तहसील बालेसर के ख0सं0 577, 582 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने बाबत पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत प्रकिया अनुसार स्वीकार किया गया है जो बहाल रख जावें।

6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि आदेश में वर्णित ग्राम भालू शेरनगर तहसील बालेसर के ख0सं0 577, 582 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे को रास्ते में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित किया है वो प्रभावित खातेदारान/अपीलार्थीगण को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है।

7. ऐसे में हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्टगण की खातेदारी के उल्लेखित खसरा संख्या 582 ग्राम भालू शेरनगर की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 में अंकित अपीलान्टस के खसरा संख्या 582 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार बालेसर से मौका जॉच करवाकर मौका फर्द तैयार करावें, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बालेसर उक्तानुसार तैयार मौका फर्द एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः यथोचित आदेश पारित करे। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 07 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

07.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर